न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 03/2022

प्रार्थी

श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री बदाराम जाति बंजारा निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत नांदिया जरिए सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री रामसिंह पुत्र श्री नैनसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री रामसिंह पुत्र श्री नैनसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. मृतक श्रीमती लीलाकंवर पत्नि श्री नैनसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्रीमती सोहनकंवर पुत्र श्री नैनसिंह पत्नि श्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी गुन्दरी वाया मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भैरूपालसिंह बालावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो, तीन व पांच की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो, तीन व पांच के पिता श्री नैनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 30404 दिनांक 12.09.2013 क्षेत्रफल 100 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो, तीन व पांच की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या चार की फौत हो जाने से उनके वारिसदार एवं कायम मुकाम प्रकरण में पूर्व से अप्रार्थी संख्या दो, तीन व पांच के रूप में पक्षकार थे। अतः अप्रार्थी संख्या चार के नाम के आगे मृतक का नोट अंकित किया गया। प्रकरण में [illegible] बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से [illegible] आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत [illegible] में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या [illegible] के पिता [illegible] सिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया [illegible] तहसील पिण्डवाडा जिला सि[illegible] नियमो के विपरित पट्टा संख्या 30404 दिनांक 12.09.2013 क्षेत्रफल 100 वर्गफुट [illegible] किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त पट्टे वाली जगह गांव नांदिया का आम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

चौहटा, आकरिया तथा सार्वजनिक रास्ता की भूमि है, जहां पर श्री नैनसिंह ने अवैध रूप से एक लकडी का छोटा अस्थाई केबिन रखा था, जिसकी गांव के लोगों द्वारा पूर्व में कई बार शिकायत की गई थी तथा आम रास्ते की भूमि पर रखे गए उक्त केबिन को हटाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर स्व. श्री नैनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत ने यह आश्वासन दिया था कि उक्त केबिन अस्थाई रूप से रखा हुआ है। वह आस पडौस में किराए की दुकान ढूंढ रहे है, जो मिलते ही शीघ्र उक्त केबिन को हटा देगा, लेकिन अप्रार्थी संख्या एक व श्री नैनसिंह ने आपस में साठ–गांठ व षडयंत्र कर आम चौहटा रास्ता व आकरिया की भूमि का उक्त वादग्रस्त पट्टा अवैध रूप से बना दिया जो कानूनन निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि वादग्रस्त पट्टा की भूमि आम रास्ता आकरिया की भूमि है, जिसका कानूनन पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है, इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या एक व स्व. श्री नैनसिंह ने मेल मिलाप कर उक्त पट्टा जारी किया है, जो कानूनन शून्य व बातिल है। यह कि उक्त जगह पर गांव नांदिया का आम चौराहा बस स्टैण्ड है तथा राजकीय चिकित्सालय स्थित है तथा गांव की मवेशी इकट्ठी होती है, जो आकरिया आया हुआ है। कुछ समय पूर्व श्री नैनसिंह ने उक्त केबिन के आस–पास की भूमि को घेरते हुए तथा राज्य सरकार द्वारा खुदवाए गए उक्त हैण्डपम्प को मिलाते हुए अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया, जिस पर समस्त ग्रामवासी नांदिया द्वारा इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, जिला कलक्टर सिरोही व पुलिस थाना पिण्डवाडा को शिकायत की जिस पर स्व. श्री नैनसिंह के विरूद्ध पुलिस थाना पिण्डवाडा में दिनांक 19.09.2016 को मुकदमा दर्ज किया गया था तथा दिनांक 19.09.2016 को ही उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, तहसीलदार पिण्डवाडा ने मौका निरीक्षण किया था तथा ग्राम पंचायत को तुरन्त गांव के आम रास्ता व चौहटा की भूमि पर नैनसिंह द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु निर्देशित किया था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.09.2016 को ही उक्त अतिक्रमण को मौके पर से हटाया गया था, लेकिन उक्त अवैध पट्टे के आधार पर श्री नैनसिंह व अप्रार्थी संख्या दो से पांच पुनः अतिक्रमण करने पर आमादा है। यह कि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा न तो विधिवत कोई प्रस्ताव लिया गया और न ही सार्वजनिक रूप से कोई आपत्ति नोटिस चस्पा किए गए। इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की किसी प्रकार से पालना नहीं की गई तथा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है, वह आकरिया, आम रास्ता व आम चौराहा की होने से उक्त पट्टा किसी भी रूप में जारी नहीं किया जा सकता है और न ही उक्त भूमि का विक्रय करने का ग्राम पंचायत को कानूनन हक व अधिकार है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से पांच के पूर्व रसाधिकारी श्री नैनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 30404 दिनांक 12.09.2013 क्षेत्रफल 100 वर्गफुट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो, तीन व पांच की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो से पांच के पूर्व रसाधिकारी को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो से पांच के पूर्व रसाधिकारी द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह कि [illegible] के पिता श्री नैनसिंह कई वर्षो से ग्रामवासी नांदिया की जानकारी में केबिन लगाकर छोटा मोटा व्यवसाय करते थे और अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त भूमि को विक्रय [illegible] हेतु अप्रार्थी के पिता ने उसे डी.एल.सी. दर पर क्रय की थी, [illegible] द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी किया गया था। यह कि [illegible] भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि नहीं है, जबकि अप्रार्थीगण के पट्टेशुदा भूमि के आगे सार्वजनिक रास्ता है, न की पट्टेशुदा भूमि पर रास्ता है। अप्रार्थीगण के पिता ने नियमानुसार राशि रूपए 46,033/– जरिए रसीद संख्या 84/456 दिनांक 12.09.2013 के द्वारा जमा कर उक्त भूमि को क्रय किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है। अप्रार्थीगण के पिता का उस पर कब्जा एवं उपयोग व उपभोग करीब 20 वर्ष से करने के कारण अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पंचायत हित में राजस्व राशि प्राप्त कर 100 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थीगण के पिता को विक्रय करते हुए पट्टा संख्या 30404 जारी किया था, बाद में अप्रार्थीगण के पिता श्री नैनसिंह द्वारा केबिन के स्थान पर पक्का निर्माण करवाने के लिए अप्रार्थी के कार्यालय में आवेदन दिया था, जिस पर तत्कालीन सरपंच व उपसरपंच ने आपसी द्वेषभावना के कारण एनओसी देने के एवज में 10,000/– रूपए की रिश्वत मांगी थी, उक्त रिश्वत देने में असमर्थ रहने के कारण अप्रार्थी संख्या एक सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंचों ने दिनांक 19.09.2016 को अप्रार्थीगण के पिता द्वारा रखे गए केबिन को जेसीबी से तोडते हुए ध्वस्त कर दिया और केबिन में रखा सामान नष्ट कर दिया, जिस पर अप्रार्थीगण के पिता ने एक फौजदारी मुकदमा अन्तर्गत धारा 143, 149, 166,323, 342, 389, 427, 437, 452, 455 व 461 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं मौके पर बेदखल करने के कारण अप्रार्थीगण के पिता द्वारा एक वाद बाबत् प्राप्त करने कब्जा भूखण्ड अन्तर्गत धारा 6 स्पेशियल रिलिफ एक्ट 1963 का श्रीमान सिविल न्यायाधीश न्यायालय पिण्डवाडा में प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। यह कि अप्रार्थीगण के पिता ने नियमानुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत डीएलसी दर जमा करवाकर भूमि को क्रय किया है एवं क्रयशुदा भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है और प्रार्थी को उक्त विक्रय विलेख को इस निगरानी के माध्यम से निरस्त करवाने का कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है। यह कि प्रार्थी को उक्त पट्टे की जानकारी वर्ष 2013 से है। अन्यथा भी अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थीगण संख्या दो से पांच के मध्य वर्ष 2016 से विवाद चल रहा है और उक्त विवाद की जानकारी सम्पूर्ण गांव नांदिया को है। अतः प्रार्थी ने उक्त निगरानी याचिका करीब 9 वर्ष देरीना प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से पांच के पूर्व रसाधिकारी श्री नैनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत पट्टा संख्या 30404 दिनांक 12.09.2013 क्षेत्रफल 100 वर्गफुट जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के अनुसार–

प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण– (1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरिम कर सकेगी–

(क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो।

(ख) जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती कि नीलाम उस भूमि के निवर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा, और

(ग) जहां तक नियम 144 के उप–नियम [illegible] और [illegible] के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो।

(2) किसी भी मामले में कोई आबादी भूमि [illegible] द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान [illegible] संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जाएगी।

(3) किसी बाजार या वाणिज्य क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षेत्रों के लिए नियत कीमत से दुगुनी से कम नहीं होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जहां तक अप्रार्थी संख्या दो, तीन व पांच के लायक अधिवक्ता का निगरानी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किए जाने का कथन है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 एसएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या दो, तीन व पांच के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का कथन है कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र 9 साल बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 की पालना में संकल्प संख्या 04 दिनांक 05.01.2013 एवं 07 दिनांक 21.01.2013 के अनुसरण में जारी किया गया है, परन्तु इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पत्रावली पर किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे को जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा लिए प्रस्ताव व बैठक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा एवं तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से पांच के पूर्व रसाधिकारी श्री नैनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश पर ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा दिनांक 19.09.2016 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत नांदिया में हॉस्पीटल के बाहर अवैध अतिक्रमणकर्ता श्री नैनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह द्वारा नींव का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, तत्पश्चात ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा उसी दिन अवैध अतिक्रमण हो हटवाया गया था। अप्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 19.09.2016 को अप्रार्थीगण के पिता द्वारा रखे गए केबिन को जेसीबी से ध्वस्त किए जाने पर अप्रार्थीगण के पिता ने एक फौजदारी मुकदमा अन्तर्गत धारा 143, 149, 166,323, 342, 389, 427, 437, 452, 455 व 461 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं मौके पर बेदखल करने के कारण एक वाद बाबत् प्राप्त करने कब्जा भूखण्ड अन्तर्गत धारा 6 स्पेशियल रिलिफ एक्ट 1963 का सिविल न्यायाधीश न्यायालय पिण्डवाडा में प्रस्तुत किया, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न वाद से सम्बन्धित न्यायालय की आदेशिका, निर्णय अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अतः दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अप्रार्थीगण अधिवक्ता का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा दिनांक 19.09.2016 को की गई कार्यवाही के विरूद्ध अप्रार्थीगण के पिता द्वारा किसी न्यायालय में कोई सिविल वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा जारी उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 30404 दिनांक 12.02.2013 में अंकित चतुर्दशी में चारों तरफ आकरिया व रास्ता की भूमि होना दर्शाया गया है। अतः उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि 10X10 के चारों तरफ की भूमि आकरिया, रास्ता व गली की है और उसके बीच में सिर्फ 10X10 की भूमि 100 वर्गफीट ही आबादी भूमि है, जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां किसी

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो या जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किए जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलामी उस भूमि के निवर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा, तो ऐसी आबादी भूमि का प्रचलित वर्तमान बाजार दर पर अंतरण किया जा सकता है एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165(4) के अनुसार अतिक्रमित भूमि को भूमि की प्रचलित बाजार कीमत अनुसार राशि अतिचारी से वसूल कर अतिचारी को भूमि आवंटित की जा सकती है, परन्तु इस प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के स्वत्व का दावा प्रमाणित होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टा आपसी बातचीत के द्वारा जारी किया गया है, परन्तु उसे किस डी.एल.सी. दर पर जारी किया गया है एवं विद्यमान डी.एल.सी. रेट की गणना किस आधार पर की गई है, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही उसका ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 154 के तहत अनुमोदन किया गया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा वादग्रस्त पट्टे को जारी करते समय पट्टे जारी करने की उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। अतः

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से पांच के पूर्व रसाधिकारी श्री नैनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी नांदिया के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 30404 दिनांक 12.09.2013 क्षेत्रफल 100 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत नांदिया को निर्देशित किया जाता है कि विकास अधिकारी पिण्डवाडा के निर्देशन में कमेटी गठित की जाकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि की जांच की जावे। यदि उक्त वाद ग्रस्त भूमि आबादी भूमि पाई जाती है एवं उस पर स्वत्व का दावा प्रमाणित होता है तो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत नए सिरे से पट्टा जारी करें तथा अप्रार्थीगण के पास ग्राम पंचायत नांदिया में जमा करवाए गए शुल्क की मूल रसीद है, तो उनका उतना शुल्क जमा माना जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner